



2026:AHC:48087

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5258 सन् 2026

त्रिभुवन

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सौरभ कुमार पांडे

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी प्रार्थना को सीमित करते हुए प्रार्थना की कि प्रत्यर्थी संख्या 3/ उप-मण्डल अधिकारी, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे प्रत्यर्थी संख्या 2/ अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.12.2025 के अनुसार मामले का शीघ्रता से निपटारा करें।
- प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
- इस मामले को देखते हुए और चुनौती के अधीन प्रत्यर्थी संख्या 2/ अपर अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.12.2025 में हस्तक्षेप किए बिना, यह रिट याचिका अंततः निपटारा जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 3/ उप-मण्डल अधिकारी, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले का निपटारा शीघ्रतम और अधिमानतः जाए कि वे इस मामले का निपटारा शीघ्रतम और अधिमानतः एक चार महीने की अवधि के भीतर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से निर्णीत करें।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय ने मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया है और इसके अलावा पक्षों में कोई अनावश्यक स्थगन नहीं लिया था।

10 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"